T.S – 43/2015

06-12-19 वाद पुकारा गया। यह वाद आज प्रतिवादी के द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 02.08.19 पर आदेश हेतु नियत है। प्रतिवादी ने अपने आवेदन में यह कथन किया है कि यह वाद प्रतिवादी के बहस हेतु चला आ रहा है। प्रतिवादी महिला है जो बीमार रहने के कारण अपनी गवाही हेतु न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकी एवं न्यायालय द्वारा अंतिम अवसर देते हुए प्रतिवादी का साक्ष्य दिनांक 05.07.19 को बन्द कर दिया गया है, जबकि प्रतिवादी को इस वाद में अपने तरफ से गवाही देना है। अतः न्यायहित में प्रतिवादी के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 05.07.19 के आदेश को रिकॉल करते हुए प्रतिवादी को गवाही प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया जाय। वादी द्वारा उक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 21.08.19 को दाखिल किया गया जिसमें उक्त आवेदन का विरोध किया गया है एवं यह कहा गया है कि प्रतिवादी द्वारा अपने आवेदन के संदर्भ में कोई भी चिकित्सीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रतिवादी के आवेदन को खारिज करने की प्रार्थना करते हैं।

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि यह वाद प्रतिवादी के साक्ष्य हेतु दिनांक 14.02.19 से लंबित चला आ रहा है। प्रतिवादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु खर्च के साथ कई अवसर दिया गया इसके बावजूद प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य के रूप में न ही स्वयं एवं न ही अपनी तरफ से किसी गवाह को गवाही के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिससे प्रतिवादी की घोर उपेक्षा दर्शित होती है। फिर भी प्रतिवादी का उक्त आवेदन न्यायहित में 1200/रुपये खर्च के साथ स्वीकृत किया जाता है एवं पूर्व में पारित आदेश दिनांक 05.07.19 को वापस लिया जाता है। प्रतिवादी को आदेशित किया जाता है कि, वह उक्त राशि को अविलंब जमा करे तत्पश्चात् गवाहों की सूची के साथ अपने तरफ से गवाह को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत करें।

वाद की अग्रिम कार्रवाई दिनांक 19.12.2019 को नियत की जाती है।

मुंसिफ